न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 29/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00065

प्रार्थीगण:–

1. कन्यादेवी पत्नी स्व. टिकमाराम जाति घांची निवासी भीमालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन
2. मुकेश पुत्र स्व. टिकमाराम, जाति घांची निवासी भीमालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन
3. विमला पुत्री स्व. टिकमाराम जाति घांची निवासी भीमालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन
   (प्रार्थी संख्या 2 व 3 अवयस्क द्वारा प्राकृतिक सरंक्षक एवं माता प्रार्थी संख्या 1 कन्यादेवी)
4. वीरमराम पुत्र जीवाराम जाति घांची निवासी भीमालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत भीमालिया पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
2. मिश्रीलाल पुत्र ढलाराम जाति घांची निवासी भीमालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी.सिघानियॉ।

–: निर्णय :–

दिनांक : 29/09/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत भीमालिया द्वारा मिसल संख्या 11/2017–2018, संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.07.2017 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी मिश्रीलाल पुत्र ढलाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 20.07.2017 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 वक्त बहस अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के पट्टेसुदा भूमि के 3 बाई 75 वर्गफीट भूमि को सम्मिलित करते हुये अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। जैर निगरानी पट्टे को मात्र 14 दिन की कार्रवाई में जारी किया गया है, जो

अति. जिला कलेक्टर, पाली

देखने मात्र से ही विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी का 45–50 वर्षों से पुश्तैनी कब्जा होना अंकित करते हुये दिनांक 06.07.2017 को आवेदन पेश किया गया, जिसमें निर्धारित शूल्क जमा करवाने की रसीद में ऑवरराईटिंग की गई है। बयान देने वाले की उम्र 41 वर्ष है और वह अप्रार्थी का मौके पर 25 से 50 वर्ष का पुराना मकान बता रहा है। सम्पूर्ण आदेशिका में कोई दिनांक अंकित नहीं है और न ही कोई हस्ताक्षर है। प्रकरण में जो नोटिस जारी किया गया उस पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत भीमालिया द्वारा मिसल संख्या 11/2017–2018, संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.07.2017 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी मिश्रीलाल पुत्र ढलाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 20.07.2017 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान 2017 के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। उक्त अभियान के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्रांक 266 दिनांक 05.04.2017 में अंकितानुसार ".....आमजन से वांछित आवेदन–पत्र आदि शिविर आरम्भ होने की तिथि से पूर्व ही प्राप्त कर, उनके निस्तारण हेतु की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही इस प्रकार से सम्पन्न करना सुनिश्चित करें कि शिविर आयोजन के दिन सम्बन्धित व्यक्ति को पट्टा वितरित किया जा सके.....।" हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत ने समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु दो अलग–अलग प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.06.2017 एवं दिनांक 06.07.2017 को प्रस्तुत किया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया। साथ ही प्रकरण में अप्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.06.2017 के साथ जो हल्फनामा पेश किया है उसमें स्वयं की उम्र 55 वर्ष होना बताते हुये प्रश्नगत आराजी पर 60 वर्षों से लगातार कब्जा होना अंकित किया है, जब किसी व्यक्ति की उम्र ही 55 वर्ष है तो उसका कब्जा 60 वर्षों से कैसे हो सकता है ? इसके अतिरिक्त सचिव ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में आवेदन शुल्क, नक्शा शुल्क एवं मौका निरीक्षण के पेटे रूपये 120/– जरिये रसीद दिनांक 09.06.2017 को पेश होना अंकित किया गया जबकि अप्रार्थी द्वारा तो प्रश्नगत पट्टे हेतु आवेदन वर्णित दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् किया गया। ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर की बैठक दिनांक 06.07.2017 के प्रस्ताव संख्या 2 में अंकितानुसार "आज दिनांक 06.07.2017 को निम्नलिखित प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में प्राप्त हुए। प्रार्थीगण के कब्जा शुदा मकान का पट्टा बनाने हेतु पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 145 के तहत कोर्ट फीस व नक्शा फीस व निरीक्षण के 120/– पंचायत कोष में जमा कर पत्रावली कायम की गई। ग्रुप सचिव को आदेशित किया गया कि पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा अभियान 2017 के तहत राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक 266 दिनांक 05.04.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

2017 के अनुसार रा.पं.रा.अ. नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितिकरण एवं नियम 158 के अन्तर्गत आवंटन एवं पट्टा जारी किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत नियम 145 से 158 में वर्णित प्रक्रियात्मक प्रावधान का पालन किया जाना अपेक्षित नहीं है कि आज ही पूर्व से तैयार भूमि का नक्शा पेश करें। ग्रुप सचिव द्वारा स्थल का नक्शा बैठक में पेश किया गया।" ".....तीन पंचों की रिपोर्ट के आधार माना गया कि प्रार्थीगण का पुश्तैनी पुराना कब्जा 25 से 49 वर्षों से है अतः प्रार्थीयों के नाम पट्टा जारी किया जावे।" ".....नियम 148 के तहत 7 दिन का आपत्ति नोटिस जारी किया जाकर आगामी बैठक में पेश करे....।" अर्थात् उक्त प्रस्ताव के अनुसार प्रश्नगत आवेदन का नक्शा पूर्व में बनाया गया तथा मौका निरीक्षण दिनांक 06.07.2017 को पेश किया गया। जैर निगरानी मिसल की प्रथम आदेशिका के अनुसार अप्रार्थी का आवेदन प्राप्त हुआ और सचिव को नक्शा बनाने हेतु आदेशित किया गया, जब आवेदन ही प्रथम आदेशिका के वक्त पेश हुआ हो तो प्रश्नगत भूमि का नक्शा पूर्व में कैसे बन सकता है ? और यदि पूर्व में नक्शा बन गया तो पुनः सचिव को नक्शा बनाने हेतु निर्देशित करने के क्या कारण रहे ? इसके अतिरिक्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकित तथ्य और मिसल की कार्रवाई परस्पर विरोधाभासी है।

जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल कि सम्पूर्ण आदेशिका पूर्व से निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है, किसी भी आदेशिका में बैठक दिनांक का अंकन नहीं है तथा प्रथम आदेशिका में सरपंच के हस्ताक्षर भी नहीं है। प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर सायल के हस्ताक्षर नहीं है और न ही किसी दिनांक का अंकन है। नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु नामित पंच नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान निर्धारित प्रिटेंड प्रारूप में है जिसमें सुविधानुसार नाम अंकित किया गया, जो कि पूर्णतया नियमों के विपरीत है। गवाहों के बयान व्यक्तिगत और स्वतंत्र रूप से लिए जाने चाहिए, न कि पूर्वनिर्धारित फॉर्मेट में, क्योंकि इससे गवाहों की सच्चाई और स्वतंत्रता पर सन्देह होता है, जो न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्रमाणिकता के सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है। पूर्व से प्रिंटेड बयानों में नाम भरना, गवाह के स्वतंत्र बयान को प्रभावित करता है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया उसके सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल गवाहों के हस्ताक्षर है, उसकी भी वल्दियती अंकित नहीं है। साथ ही आपत्ति नोटिस दिनांक 06.07.2017 को जारी किया गया और उसी दिन अप्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे आवेदन पेश किया गया था। जैर निगरानी पट्टे पर अंकितानुसार उक्त पट्टा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.07.2017 की पालना में जारी किया गया अर्थात् नोटिस जारी होने के 15 दिवस पश्चात् जबकि आपत्ति इश्तिहार के नोटिस में आपत्ति पेश करने की म्याद 30 दिवस अंकित है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the

अति. जिला कलेक्टर, पाली

requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. अतः यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भीमालिया द्वारा मिसल संख्या 11/2017–2018, संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.07.2017 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी मिश्रीलाल पुत्र ढलाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 20.07.2017 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, ग्राम पंचायत भीमालिया को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली